

राजस्थान-सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा
 गीतासीन अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस.
 मुकदमा संख्या - 46/19
 श्री गफार ज० श्री अलादीन मुसलमान निवासी- भगतामपुरा तहसील- गाँडल [कौरा]

श्री ऊंकार ज० शिवा वैस्ता निवासी- भगतामपुरा तहसील- गाँडल [कौरा]
 (प्रबन्धित प्राप्तासंलग्न)
 नाम
 - प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956
 दिनांक - 16-4-19
 -विपक्षीगण

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भगतामपुरा पटवार हलका भगतामपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1258 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18-3-19 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलाकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगतामपुरा पटवार हलका भगतामपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1258 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भगतामपुरा को 300/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फराल खर्ची होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल भीलवाड़ा